झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश संख्या :– 5/आरोप–1–151/2014 का०....1328../राँची, दिनांक 15...फरवरी, 2016

निगरानी थाना काण्ड संख्या–34/2014, दिनांक 10.11.2014 के नामजद अभियुक्त श्री विनोद कुमार, झा0प्र0से0, के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि में सहयोगी श्री सूरज सिंह के माध्यम से 19,000/– रूपये रिश्वत लेने संबंधी आरोपों के कारण हिरासत में भेजे जाने पर विभागीय आदेश संख्या–6310, दिनांक 15.07.2015 द्वारा इन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम–49क–(2)(क) के तहत् दिनांक 26.03.2015 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

2. तत्पश्चात् श्री कुमार के जमानत पर रिहा होने के पश्चात् असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम–49क–(1)(क) एवं (ख) के तहत् हिरासत से मुक्त किये जाने की तिथि से आदेश सं0–6915, दिनांक 31.07.2015 द्वारा अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया गया है।

3. श्री कुमार द्वारा निलंबन के विरूद्ध W.P.(S) No. 5411/2015 – विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2015 को आदेश पारित करते हुए इनके निलंबन के सभी तथ्यों पर विचार कर आदेश पारित करने हेतु निदेश दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–34/2014, दिनांक 10.11.2014 में निगरानी ब्यूरो द्वारा निगरानी न्यायालय, राँची में आरोप पत्र संख्या–10/2015, दिनांक 08.04.2015 दायर किया जा चुका है। सम्प्रति मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

4. W.P.(S) No. 5411/2015 में पारित न्यायादेश तथा इनके विरूद्ध आरोप पत्र दायर करने की कार्रवाई पूरी होने के आलोक में इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के निलंबन अवधि, जिसमें हिरासत की अवधि भी शामिल है, के संबंध में इनके विरूद्ध दर्ज थाना कांड में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर इसके आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15.2.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–151/2014 का०......1328........./राँची, दिनांक ...15....फरवरी, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.2.16

सरकार के उप सचिव।